LDC New RRs

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 787—791

Dated 2-6-2012

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2012

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, निम्न श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, अवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	14* (2012) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड 1, 5200—	चयन	18 और 27 वर्ष के बीच की आयु (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय

(2)	(3)	(4)	(6)
आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जा रही है, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि होगी) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण, और (ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति हो; या (iii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो । (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) ।	हां, उस सीमा तक जैसाकि स्तंभ 10 में उपदर्शित है ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (ii) विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर 10% रिक्तियों को ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरा जाएगा जो ग्रेड वेतन 1800 रु. में है और किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 12 या समतुल्य अर्हता रखता है और उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है । परीक्षा के लिए अर्हता की अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति/	जैसाकि स्तंभ 10 में विहित है ।

(10)
अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) । नोट : यदि खंड (ii) के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं तो ऐसी आधिक्य संख्या में कर्मचारियों पर अगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जा सके । 5 प्रतिशत रिक्तियां 1800 रु. के ग्रेड वेतन के पद में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले श्रेणी 'ग' कर्मचारियों से वरियता-सह-उपयुक्ता आधार पर भरी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
1. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)	—अध्यक्ष स्थापना-I का भारसाधक	लागू नहीं होता ।
2. वस्त्र मंत्रालय के कार्यालयों में निदेशक अथवा समतुल्य अधिकारी	—सदस्य	
3. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त, हथकरघा	—सदस्य	

[सं. 12018/4//2011-डीसीएच/स्था.-I]

दिनेश सिंह, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2012

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	14* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	**Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900**	Non-selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass from a recognised Board or University; and (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter; or A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years for direct recruits.

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10% to the vacancies shall be filled on the basis of departmental qualifying examination amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification from a recognised Board and have rendered three years regular service in the grade. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes). **Note** : If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800.	As specified in column 10.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
1. Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms) Incharge of E-I Section —Chairman 2. Director or equivalent officer in the offices of the Ministry of Textiles —Member 3. Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms) —Member	Not applicable.

[No. 12018/4/2011-DCH/Estt.-I]

DINESH SINGH, Addl. Development Commissioner for Handlooms

1989 Textiles/12-2

MGIPRRND—1989 Textiles/2012—100 Copies.